बिहार ग्रामदान अधिनियम, १९६५

(बिहार अधिनियम ४, १९६६)

विषय-सूची ।

अध्याय १ ।

प्रारंभिक ।

धाराएं ।

१ । संक्षिप्त नाम और विस्तार ।
२ । परिभाषाएं ।
३ । अधिनियम का अधिभावी प्रभाव होगा ।

अध्याय २ ।

ग्रामदान-गांव ।

४ । ग्रामदान के रूप में दान ।
५ । भूमिहीन व्यक्ति ग्रामदान में शामिल हो सकेंगे ।
६ । ग्रामदान-गांव के रूप में गांव की घोषणा ।
७ । गांव के भाग का पृथक राजस्व-ग्राम के रूप में रजिस्ट्रीकरण ।
८ । ग्रामदान-गांव के रूप में घोषणा का प्रभाव ।

अध्याय ३ ।

ग्राम-सभा ।

९ । ग्राम-सभा की स्थापना और गठन ।
१० । ग्राम-सभा के सदस्यों का रजिस्टर ।
११ । ग्राम-सभा का सभापति ।
१२ । कार्यकारिणी समिति ।
१३ । अन्य समितियां ।
१४ । ग्राम-सभा के पदाधिकारी और कर्मचारी ।
१५ । पदाधिकारियों और कर्मचारियों का हटाया जाना ।
१६ । ग्राम-सभा का कार्य-संचालन ।
१७ । ग्रामदान किसान के अधिकार और दायित्व
१८ । ग्रामदान-किसान को बेदखल करने की शक्ति ।

www.vinoba.in

धाराएँ ।
१९। भूमि समुच्चय ।
२०। भूमि का आवंटन और शर्तें ।
२१। ग्राम-सभा द्वारा सर्वसामान्य भूमि का प्रबन्ध ।
२२। पावनों को भू-राजस्व के बकाए के रूप में वसूलने की ग्राम-सभा की शक्ति ।
२३। ग्राम-सभा की स्थापना और गठन के बाद ग्रामदान में सम्मिलित होना ।
२४। आवंटितियों को बेदखल करने की शक्ति ।
२५। ग्राम-सभा की शक्तियां और कृत्य ।
२६। ग्राम-सभा का कार्य अमान्य न होगा ।
२७। अपील ।
२८। ग्राम-सभा अदालत ।

अध्याय ४ ।

ग्राम-निधि ।

२९। ग्राम-निधि ।
३०। ग्राम-निधि का उपयोजन ।
३१। ग्राम-सभा की उधार लेने की शक्तियां ।
३२। लेखा और अंकेक्षण ।

अध्याय ५ ।

प्रकीर्ण ।

३३। ग्राम-सभा, ग्रामदान-किसान या आवंटिती द्वारा धारित जमीन की बिक्री पर प्रतिबन्ध ।
३४। भू-राजस्व और कृषि-आयकर पर अधिभार चुकाने का ग्राम-सभा का दायित्व ।
३५। ऋणों की मात्रा घटाने के लिये आवेदन करने का ग्राम-सभा का अधिकार ।
३६। सहकारी समिति के रूप में ग्राम-सभा का रजिस्ट्रीकरण ।
३७। स्टाम्प-शुल्क आदि से छूट देने की शक्ति ।
३८। नियम बनाने की शक्ति ।
३९। ग्राम-सभा को ग्राम-पंचायत के रूप में काम करने की शक्ति दी जा सकेगी ।
४०। कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।
४१। विनियम बनाने की शक्ति ।
४२। ग्राम-सभा का अवक्रमण ।
४३। तारण ।
४४। निरसन और व्यावृत्ति ।

www.vinoba.in

(बिहार अधिनियम ४, १९६६)

बिहार ग्रामदान अधिनियम, १९६५।

(इस अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति तारीख ११ जनवरी, १९६६ को मिली और यह अनुमति पहली बार बिहार गजट के असाधारण अंक तारीख १४ जनवरी, १९६६ में प्रकाशित हुई।)

ग्रामदान-गांव की स्थापना और उससे संबंधित विषयों का उपबन्ध करने के लिये अधिनियम।

भारत गणराज्य के सोलहवें वर्ष में बिहार विधान-मंडल द्वारा निम्न रूपेण अधिनियमित हो :—

अध्याय १।

प्रारंभिक।

१। संक्षिप्त नाम और विस्तार।—(१) यह अधिनियम बिहार ग्रामदान अधिनियम, १९६५ कहलाएगा।

(२) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

२। परिभाषाएं।—जबतक कोई बात विषय या प्रसंग के विरुद्ध न हो, इस अधिनियम में —

(क) "अध्यक्ष" से तात्पर्य है बिहार भूदान यज्ञ ऐक्ट, १९५४ (बिहार अधिनियम सं० २२, १९५४) की धारा ४ के अधीन नियुक्त अध्यक्ष, और इसके अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जिसको अध्यक्ष, सरकारी गजट में अधिसूचना निकाल कर इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्ति और कृत्य प्रत्यायोजित करे ;

(ख) "आवंटिती" से तात्पर्य है वह व्यक्ति या व्यक्ति-समूह, जिसे धारा २० के अधीन भूमि आवंटित की गई हो, और इसके अन्तर्गत ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वारिस और हित-उत्तराधिकारी भी हैं ;

(ग) "ग्रामदान" से तात्पर्य है इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ और इसके उपबन्धों के अनुसार किसी गांव में भूमि का स्वैच्छिक दान ;

(घ) "ग्रामदान-किसान" से तात्पर्य है वह व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन ग्रामदान-किसान के रूप में भूमि धारण करता हो, और इसके अन्तर्गत उसके वारिस तथा हित-उत्तराधिकारी भी हैं ;

(ङ) "ग्रामदान-गांव" से तात्पर्य है वह गांव, जिसे धारा ६ के अधीन ग्रामदान-गांव घोषित किया जाए ;

(च) "ग्राम-पंचायत" से तात्पर्य है बिहार पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ (बिहार अधिनियम सं० ७, १९४८) के अधीन स्थापित ग्राम-पंचायत ;

(छ) "ग्राम-सभा" से तात्पर्य है धारा ९ के अधीन स्थापित ग्राम-सभा ;

www.vinoba.in

के लिए तबतक सक्षम न होगा, जबतक कि इस धारा की उप-धारा (४) के अधीन घोषणा-संपुष्टि से इनकार करने का आदेश अंतिम न हो जाए, या धारा ६ की उप-धारा (३) के अधीन यह आदेश न दे दिया जाए कि जिन गांवों में भूमि अवस्थित है वे गांव ग्रामदान-गांव होने के योग्य नहीं हैं अथवा ग्रामदान के रूप में किए गए इस दान को धारा ८ के अधीन आदेश देकर खंडित न कर दिया जाए।

(८) उप-धारा (७) के उल्लंघन में किया गया कोई अन्तरण या भवभार शून्य और अप्रवृत्त होगा।

५। भूमिहीन व्यक्ति ग्रामदान में शामिल हो सकेंगे।—(१) कोई भी भूमिहीन ग्राम-वासी व्यक्ति यह वचन देते हुए कि वह—

(i) उस गांव के ग्रामदान में शामिल होगा; और

(ii) सामुदायिक प्रयोजनों के लिए, यथाविहित रीति से संगणीय और समय के भीतर देय, अपनी आय के तीसवें भाग का आवधिक अभिदाय करेगा,

अध्यक्ष के समक्ष विहित रूप और रीति से घोषणा दाखिल कर सकता है।

(२) अध्यक्ष घोषणा प्राप्त होने के बाद यथाशीघ्र उसे विहित रीति से ऐसी नोटिस के साथ प्रकाशित कराएगा जिसके द्वारा सभी व्यक्तियों से यह अपेक्षा की जाएगी कि वे ऐसे प्रकाशन से तीस दिन के भीतर अपने आक्षेप, यदि कोई हो, लिखित रूप में उसके समक्ष उपस्थापित करें।

(३) धारा ४ की (४) से (६) उप-धाराएं इस धारा की उप-धारा (१) के अधीन दाखिल की गई घोषणा पर उसी रीति से लागू होंगी, जैसे वे धारा ४ की उप-धारा (१) के अधीन दाखिल की गई घोषणा पर लागू होती हैं।

(४) इस धारा की उप-धारा (१) में निर्दिष्ट व्यक्ति उसके अधीन घोषणा व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से कर सकते हैं।

६। ग्रामदान-गांव के रूप में गांव की घोषणा।—(१) यदि किसी गांव में—

(क) भूमि की मात्रा, जिसके संबंध में धारा ४ के अधीन दाखिल की गई घोषणा संपुष्ट की गई हो, उस गांव में निवास करनेवाले स्वामियों द्वारा धारित कुल भूमि के ५१ प्रतिशत से कम न हो; और

(ख) उस गांव के ऐसे व्यक्तियों की संख्या, जिनकी धारा ४ या धारा ५ के अधीन की गई घोषणा संपुष्ट की गई है, उस गांव में निवास करनेवाले व्यक्तियों के ७५ प्रतिशत से कम न हों,

तो अध्यक्ष यथाविहित रूप और रीति से जांच करने के बाद सरकारी गजट में अधिसूचना निकालकर घोषित करेगा कि वह गांव उस अधिसूचना में उल्लिखित तारीख से ग्रामदान-गांव हो गया।

(२) उप-धारा (१) के अधीन हर अधिसूचना की एक प्रति गांव के किसी मुख्य स्थान में प्रदर्शित की जाएगी और दूसरी प्रति जिला समाहर्त्ता और अंचल-अधिकारियों के कार्यालय में किसी सुगोचर स्थान में चिपका दी जाएगी।

(३) जहां उप-धारा (१) में उल्लिखित शर्तें समुचित समय के भीतर पूरी न हुई हों वहां अध्यक्ष विहित रीति से आदेश द्वारा घोषणा कर सकता है कि वह गांव ग्रामदान-गांव होने योग्य नहीं है, और तब, धारा ४ या धारा ५ के अधीन की गई हर घोषणा, संपुष्ट होने के बावजूद, प्रभावहीन हो जाएगी।

www.vinoba.in

७। गांव के भाग का पृथक राजस्व-ग्राम के रूप में रजिस्ट्रीकरण।—(१) जहां राजस्व-ग्राम का कोई भाग इस अधिनियम के अधीन ग्रामदान-गांव घोषित किया गया हो, वहां, ग्रामदान-गांव की ग्राम-सभा उस भाग को राजस्व-ग्राम के शेष भाग से पृथक करने और पृथक राजस्व-ग्राम के रूप में उसके रजिस्ट्रीकरण के लिए जिला-समाहर्त्ता के पास आवेदन-पत्र फाईल कर सकती है।

(२) उप-धारा (१) के अधीन आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर समाहर्त्ता, यथाविहित नियमों के अधीन रहते हुए, उक्त भाग को पृथक राजस्व-ग्राम के रूप में रजिस्टर कर सकता है।

परन्तु राजस्व-ग्राम का ऐसा कोई भाग पृथक राजस्व-ग्राम के रूप में तभी रजिस्टर किया जाएगा, जबकि ऐसे भाग की आबादी एक सौ से कम न हो।

(३) जहां राजस्व-ग्राम का कोई भाग उप-धारा (२) के अधीन पृथक राजस्व-ग्राम के रूप में रजिस्टर किया गया हो, वहां समाहर्त्ता प्रथम उल्लिखित राजस्व-ग्राम की सर्वसामान्य भूमि की पैमाइश कराके विभाजन कराएगा और उसे दोनों राजस्व-ग्रामों के बीच उस हद तक और उस रीति से बंटवाएगा जो विहित की जाए।

८। ग्रामदान गांव के रूप में घोषणा का प्रभाव।—तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में कोई प्रतिकूल बात होने पर भी, जिस तारीख से कोई गांव ग्रामदान-गांव के रूप में घोषित किया जाए, उस तारीख से—

(क) उन व्यक्तियों के, जिनकी घोषणाएं धारा ४ के अधीन संपुष्ट की जा चुकी हैं, सभी अधिकार, हक और हित, जो घोषणा-पत्र में समाविष्ट भूमि के संबंध में हों, इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित स्थिति को छोड़कर, समाप्त हो जाएंगे और उस ग्रामदान-गांव के लिए स्थापित ग्राम-सभा को अंतरित और उसमें निहित माने जाएंगे;

(ख) सरकार द्वारा सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा उल्लिखित भूमि, यदि हो, से भिन्न गांव की सभी सर्वसामान्य भूमि का प्रबंध ग्राम-सभा करेगी;

(ग) ग्राम-सभा धारा ४ की उप-धारा (२) के खंड (ii) में और धारा ५ की उप-धारा (१) के खंड (ii) में निर्दिष्ट अभिदाय पाने की हकदार होगी;

(घ) ग्राम-सभा पर—

(i) ग्राम-सभा में निहित जमीनों के सम्बन्ध में भू-राजस्व, लगान, सेस, रेट और कर के संदाय का दायित्व होगा, और जिनका संदाय दान न किये जाने की दशा में दाता द्वारा किया जाता, भले ही वह दायित्व उक्त भूमि के निहित होने की तारीख के पहले या उसके बाद का क्यों न हो; और

(ii) ग्राम-सभा में निहित किसी भूमि के संबंध में धारा ४ के अधीन घोषणा की तारीख के पहले के सभी प्रभारों की चुकौती का दायित्व होगा:

परन्तु जमीन के इस प्रकार निहित होने की तारीख को शोध्य जिस भू-राजस्व, लगान, सेस, रेट या कर के संदाय के लिए, या उस तारीख के पहले के जिन प्रभारों की चुकौती के लिये जिसके लिए ग्राम-सभा दायी हो, उसका संदाय या चुकौती करने के पहले या बाद ग्राम-सभा ग्रामदान के रूप में जमीन दान करने वाले स्वामी से अपेक्षित रकम इस रूप में वसूल करने को सक्षम होगी, मानो वह रकम ग्राम-सभा को शोध्य हो।

www.vinoba.in

परन्तु यह और भी कि जब किसी मामले में ग्राम-सभा को ऐसा प्रतीत हो कि ग्राम-दान के रूप में दान की गई जमीन के संबंध में ऋणभार और अन्य दायित्व बहुत अधिक हैं अथवा किसी अन्य कारणवश ग्राम-सभा का यह विचार हो कि ऐसे दायित्वों की चुकौती का जिम्मा लेना वांछनीय नहीं है तो ग्राम-सभा उस व्यक्ति को, जो, अगर ग्रामदान न किया जाता तो, उस जमीन का स्वामी होता, सुनवाई का अवसर देने के बाद आदेश देकर ग्रामदान के रूप में किए गए दान को विखंडित कर देगी और इसके बाद उन जमीनों में या पर सभी अधिकार, हक और हित ऐसे व्यक्ति को प्रतिवर्तित हो जाएंगे तथा उन जमीनों के संबंध में ग्राम-दान के सभी दायित्व, उन दायित्वों को छोड़कर, जो उस सम्पत्ति के ग्राम-सभा में निहित रहने की अवधि में उद्‌भूत हुए हों, समाप्त हो जाएंगे और उपर्युक्त ग्रामदान के संबंध में धारा ४ के अधीन फाईल की गई घोषणा प्रवृत्त न रह जाएगी।

(ङ) जो जमीनें ग्रामदान-गांवों में अवस्थित हों और जिनके संबंध में धारा ४ या धारा २३ के अधीन ग्रामदान के रूप में कोई दान न किया गया हो, उनके सम्बन्ध में शोध्य भू-राजस्व, सेस, रेट और करों का संदाय ग्राम-सभा को उस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जो इसके लिए दायी हो:

परन्तु इस प्रकार वसूली गई सारी रकम यथाविहित तहसील-खर्च की कटौती करने के बाद यथाविहित समय के भीतर और रीति से सरकार को विप्रेषित कर दी जाएगी।

अध्याय ३।

ग्राम-सभा।

९। ग्राम-सभा की स्थापना और गठन।—(१) सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना निकालकर उक्त अधिसूचना में उल्लिखित तारीख से धारा ६ की उप-धारा (१) के अधीन ग्रामदान-गांव के लिये एक ग्राम-सभा स्थापित करेगी।

(२) ग्राम-सभा ऐसे सभी वयस्कों से मिलकर बनेगी—

(i) जो ग्रामदान-गांव के निवासी हों, या

(ii) जिन्होंने धारा ४ के अधीन ग्रामदान के रूप में जमीन दान की हो।

परन्तु ऐसा कोई व्यक्ति ग्राम-सभा का सदस्य होने के लिये अनर्ह होगा जो—

(क) भारत का नागरिक न हो, या

(ख) विकृतचित्त हो और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा वैसा घोषित किया गया हो।

(३) ग्राम-सभा एक निगम निकाय होगी जिसे शाश्वत उत्तराधिकार होगा और जिसकी एक सामान्य मुहर होगी तथा जिसे संविदा करने और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए स्थावर और जंगम दोनों ही प्रकार की सम्पत्तियां अर्जित करने, धारण करने, उनका प्रबन्ध करने और उन्हें व्ययनित करने की शक्ति होगी तथा उक्त नाम से वह वाद चलायेगी और उस पर वाद चलाया जा सकेगा।

१०। ग्राम-सभा के सदस्यों का रजिस्टर।—ग्राम-सभा की स्थापना हो जाने पर विहित प्राधिकारी ग्राम-सभा के सभी सदस्यों का एक रजिस्टर विहित फारम में तैयार कराएगी तथा

www.vinoba.in

इस प्रकार तैयार किया गया रजिस्टर ऐसे अंतरालों पर और उस रीति से पुनरीक्षित और अद्यतन किया जायेगा, जो विहित की जाएं।

११। ग्राम-सभा का सभापति।—(१) ग्राम-सभा, विहित रीति से, अपने सदस्यों में से ही एक सभापति चुन लेगी जो विनियमों द्वारा विहित शक्ति का प्रयोग और कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगा।

(२) सभापति की पदावधि तीन वर्षों की होगी।

१२। कार्यकारिणी समिति।—(१) हरेक ग्राम-सभा एक कार्यकारिणी समिति गठित करेगी जिसमें ग्राम-सभा का सभापति और पांच से अन्यून उतने अन्य सदस्य रहेंगे जितने ग्राम-सभा अवधारित करे।

(२) ग्राम-सभा के सदस्यगण विनियमों द्वारा विहित रीति के अनुसार अपने ही बीच से कार्यकारिणी समिति के सदस्यों का (सभापति को छोड़कर) चुनाव करेंगे।

(३) ग्राम-सभा का सभापति कार्यकारिणी समिति का सभापति होगा।

(४) कार्यकारिणी समिति के निर्वाचित सदस्यों की पदावधि तीन वर्षों की होगी।

(५) कार्यकारिणी समिति विनियमों द्वारा यथाविहित शक्तियों का प्रयोग, कर्त्तव्यों का निर्वहन और कृत्यों का पालन करेगी।

१३। अन्य समितियां।—(१) ग्राम-सभा—

(क) उतनी स्थायी समितियां गठित कर सकेगी जितनी वह विनियमों द्वारा यथाविहित शक्तियों के प्रयोग, कर्त्तव्यों के निर्वहन और कृत्यों के पालन के लिये आवश्यक समझे;

(ख) उतनी तदर्थ समितियां गठित कर सकेगी जितनी वह इन समितियों को निर्दिशित विषय की जांच करने या उस पर रिपोर्ट और सलाह देने के लिये आवश्यक समझे।

(२) उप-धारा (१) में निर्दिष्ट समितियां विनियमों द्वारा विहित रीति से गठित की जाएंगी तथा उन्हें ऐसी परिस्थितियों में और ऐसी रीति से विघटित या पुनर्गठित किया जा सकेगा जो विनियमों द्वारा विहित की जाएं।

१४। ग्राम-सभा के पदाधिकारी और कर्मचारी।—ग्राम-सभा—

(क) एक सचिव नियुक्त कर सकेगी जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगा जो विनियमों द्वारा विहित किए जाएं अथवा जो सभापति द्वारा उसे प्रत्यायोजित किए जाएं।

(ख) ऐसे अन्य पदाधिकारी और कर्मचारी नियुक्त कर सकेगी जो उसके कृत्यों के कुशल निर्वहन के लिये आवश्यक हों।

१५। पदाधिकारियों और कर्मचारियों का हटाया जाना।—ग्राम-सभा विनियमों द्वारा यथाविहित परिस्थितियों में और रीति से सभापति को उसके पद से या सचिव अथवा अन्य पदाधिकारियों या कर्मचारियों को सेवा से हटा सकेगी।

१६। ग्राम-सभा का कार्य-संचालन।—ग्राम-सभा और उसकी समितियों का कार्य-संचालन विनियमों द्वारा विहित रीति से होगा और इन विनियमों में वे मामले विनिर्दिष्ट रहेंगे जिनका विनिश्चय ग्राम-सभा या उसकी समितियों को बहुमत के आधार पर करना है।

www.vinoba.in

१७। ग्रामदान किसान के अधिकार और दायित्व।—(१) ग्रामदान-किसान की धारा ४ की उप-धारा (१) में निर्दिष्ट और ग्रामदान-किसान के रूप में उसके द्वारा धारित भूमि के सम्बन्ध में निम्न निर्दिष्ट अधिकार और दायित्व होंगे :—

(क) दान के अव्यवहित पूर्व जो भूमि उसके कब्जे में रही हो, उसे वह अपने कब्जे में रखने का हकदार होगा और ग्राम-सभा उसे, इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्धित स्थिति को छोड़कर उसकी सम्मति के बिना ऐसे कब्जे में बाधा नहीं डालेगी ;

(ख) दान के अव्यवहित पूर्व जो भूमि किसी पट्टे के अधीन रही हो उसे, भूधृति सम्बन्धी तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, फिर से कब्जा वापस लेने का अधिकार उसको इस प्रकार होगा मानो वह उसका पट्टादार बना हुआ हो और पट्टे की अवधि समाप्त होने तक उसे उस भूमि के सम्बन्ध में पट्टाधारी द्वारा देय लगान वसूल करने का भी अधिकार होगा ;

(ग) ऐसी भूमि जो दान के अव्यवहित पूर्व कब्जा बन्धक के अधीन हो, ग्राम-सभा द्वारा उसके मोचन के बाद, उसपर कब्जा लेने का अधिकार होगा, बशर्ते कि वह बन्धक मोचन के लिये चुकाई गई रकम तत्सम्बद्ध सभी खर्चों के साथ ग्राम-सभा को चुका दे ;

(घ) वह ऐसी भूमि के सम्बन्ध में देय भू-राजस्व, लगान, सेस, रेट और करों के बराबर रकम ग्राम-सभा को चुकाने का भागी होगा ;

(ङ) उस भूमि पर ग्रामदान-किसान के रूप में उसके अधिकार दाय-योग्य तो होंगे, किन्तु अन्तरणीय नहीं :

परन्तु ग्रामदान-किसान—

(i) ऐसी भूमि में या उसके किसी भाग में निहित अपना हित, प्रतिफल लेकर ग्राम-सभा को अर्पित कर सकेगा ;

(ii) ग्राम-सभा की अनुज्ञा से ऐसी भूमि में का अपना हित या उसका कोई भाग आपस में तय पाये बंधेजों और शर्तों पर किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को अंतरित कर सकेगा, जो धारा ४ या धारा ५ अथवा धारा २३ के अधीन उस ग्राम के ग्रामदान में शामिल हुआ हो, जिसमें वह भूमि अवस्थित हो;

(iii) ग्राम-सभा की अनुज्ञा से ऐसी भूमि में का अपना हित या उसका कोई भाग, यथास्थिति, सरकार या सहकारी समिति या किसी अन्य लोक संस्था के लिये ऋण को चुकाने के लिये सरकार या सहकारी समिति या किसी अन्य लोक-संस्था के नाम दृष्टि-बन्धक रख सकेगा ;

(च) वह ग्राम-सभा को हर वर्ष ऐसी भूमि के उत्पादन का चालीसवां भाग या उतना भाग जो ग्राम-सभा नियत करे, या उसका नकद मूल्य दिया करेगा।

(२) उप-धारा (१) में अन्तर्विष्ट किसी बात से यह न समझा जायेगा कि इससे ग्रामदान-किसान को कोई ऐसा अधिकार प्राप्त हो गया है, जो उसे अपनी भूमि दान देने के अव्यवहित पूर्व प्राप्त न था।

१८। ग्रामदान-किसान को बेदखल करने की शक्ति।—(१) यदि कोई ग्रामदान-किसान—

(i) इस रूप में धारित भूमि के सम्बन्ध में धारा १७ की उप-धारा (१) के खण्ड (घ) या खण्ड (च) में निर्दिष्ट रकम या अभिदाय चुकाने में चूक करे ;

www.vinoba.in

(ii) इस रूप में धारित भूमि का अंतरण धारा १७ की उप-धारा (१) के खंड (क) के उपबन्धों के प्रतिकूल करे;

(iii) धारा ८ के खण्ड (घ) के उप-खण्ड (ii) में निर्दिष्ट किसी प्रभार मद्धे अपने जिम्मे बाकी रकम चुकाने में चूक करे;

तो ग्राम-सभा उस भूमि पर ग्रामदान-किसान का हित समाप्त करने के लिये और यदि वह भूमि उस किसान के कब्जे में हो, तो उस भूमि से उसे बेदखल करने के लिये विहित प्राधिकारी के पास आवेदन कर सकेगी और तब, विहित प्राधिकारी यथोचित जांच करने तथा ग्रामदान-किसान को सुनवाई का अवसर देने के बाद, यथास्थिति, हित की समाप्ति या बेदखली का आदेश दे सकेगा और, बेदखली की दशा में, ग्रामदान-किसान या भूमि पर कब्जा रखनेवाले किसी अन्य व्यक्ति को उस भूमि से बेदखल करके उसपर ग्राम-सभा को कब्जा दिलाएगा :

परन्तु इससे किसी ऐसे व्यक्ति के अधिकार पर कोई प्रभाव न पड़ेगा जिसका उस भूमि पर विधिपूर्ण कब्जा हो।

(२) उप-धारा (१) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उक्त उप-धारा के खण्ड (i) या खण्ड (iii) के भीतर पड़ने वाले किसी मामले में, विहित प्राधिकारी, यथास्थिति, ग्रामदान-किसान के हित को समाप्त करने या उसे बेदखल करने का आदेश देने के बजाय, आदेश द्वारा, निदेश दे सकेगा कि ग्राम-सभा विनिर्दिष्ट अवधि के लिये उस भूमि का प्रबन्ध अपने हाथ में ले ले। आगे, वह ऐसे यथोचित आदेश भी दे सकेगा जिनसे ग्राम-सभा उस भूमि का प्रबन्ध ग्रहण कर सके।

(३) जहां उप-धारा (२) के अधीन ग्राम-सभा को किसी भूमि का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने का निदेश दिया गया हो वहां ग्राम-सभा विनिर्दिष्ट अवधि तक उस भूमि का प्रबन्ध करेगी और उक्त अवधि की समाप्ति पर उस भूमि का प्रबन्ध ग्रामदान-किसान को प्रत्यावर्तित कर देगी।

(४) यदि प्रबन्ध उप-धारा (२) के अधीन हाथ में ले लिया गया हो तो ऐसे मामले में ग्राम-सभा भू-राजस्व, लगान, सेस, रेट, कर और अन्य पावनों तथा प्रभारों मद्धे ग्राम-सभा को ग्रामदान-किसान द्वारा शोध्य सब रकम काट लेने के बाद, प्रबन्ध-अवधि में उस भूमि से हुई अतिरिक्त आय यथाविहित रीति से और अन्तरालों पर ग्रामदान-किसान को दे देगी।

१९। भूमि समुच्चय।—ग्राम-सभा एक भूमि समुच्चय गठित करेगी जिसमें निम्न भूमि होगी :—

(i) धारा ४ की उप-धारा (१) या धारा २३ के अधीन दान की गई सारी भूमि, जिसका कब्जा ग्राम-सभा को अन्तरित कर दिया गया हो ;

(ii) भूदान के सम्बन्ध में तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन भूदान के रूप दान की गई सारी भूमि जो ग्राम में अवस्थित हो; और

(iii) सरकार द्वारा दान की गई या किसी अन्य स्रोत से दान के रूप में प्राप्त सारी भूमि।

२०। भूमि का आवंटन और शर्तें।—(१) ग्राम-सभा ग्रामदान-गांव में रहनेवाले किसी भूमिहीन व्यक्ति को या भूमिहीन व्यक्ति-समूह को (जिसके अन्तर्गत भूमिहीन व्यक्तियों की तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकृत समझी जानेवाली सहकारी समिति भी है) खेती करने के लिये भूमि समुच्चय से यथोचित भूमि आवंटित कर सकेगी।

www.vinoba.in

(२) उप-धारा (१) के अधीन भूमि का हर आवंटन निम्न शर्तों के अधीन किया जायेगा:—

(क) आवंटिती ग्राम-सभा को प्रतिवर्ष उसे आवंटित की गई भूमि के सम्बन्ध में देय भू-राजस्व, लगान, सेस, रेट और कर के बराबर रकम चुकाने का भागी होगा ;

(ख) आवंटिती आवंटित भूमि में के अपने हित को अन्तरित तो नहीं करेगा, किन्तु ऐसा हित दाय-योग्य होगा ;

(ग) धारा २४ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, ग्राम-सभा आवंटिती की सम्मति के बिना उस भूमि पर उसके कब्जे में बाधा नहीं डाल सकेगी ;

(घ) आवंटिती उस भूमि के उत्पादन का चालीसवां भाग या उत्पादन का उतना भाग, जितना ग्राम-सभा नियत करे, या उसका नकद मूल्य ग्राम-सभा को प्रतिवर्ष दिया करेगा :

परन्तु आवंटिती अपनी भूमि में का हित या उसका कोई भाग ग्राम-सभा से प्रतिफल लेकर अर्पित कर सकेगा :

परन्तु यह और भी कि आवंटिती ग्राम-सभा की पूर्व-अनुज्ञा से—

(i) ऐसी भूमि में के अपने हित या उसके किसी भाग का विनिमय आपस में तय पाए बंधेजों और शर्तों पर किसी व्यक्ति के साथ कर सकेगा, जो उस ग्राम के ग्रामदान में शामिल हुआ हो जिसमें वह भूमि अवस्थित हो ;

(ii) ऐसी भूमि में का अपना हित या उसका कोई भाग, यथास्थिति सरकार या सहकारी समिति या किसी अन्य लोक संस्था से लिये गये ऋण को चुकाने के लिये सरकार या सहकारी समिति या लोक संस्था के नाम दृष्टिबन्धक रख सकेगा।

(३) इस धारा की किसी बात से यह न समझा जायेगा कि इससे आवंटिती को कोई ऐसा अधिकार प्राप्त हो गया है, जो ग्राम-सभा को उक्त भूमि आवंटित करने के अव्यवहित पूर्व प्राप्त न था।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनार्थ "भूमिहीन व्यक्ति" में वैसा व्यक्ति भी शामिल है जो यथाविहित क्षेत्र से अधिक भूमि का न स्वामी हो न धारक।

२१। ग्राम-सभा द्वारा सर्वसामान्य भूमि का प्रबन्ध।—(१) सरकार समय-समय पर सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा, उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों और बंधेजों पर, ग्रामदान-गांव जिसका एक अंग हो उस राजस्व-ग्राम की सर्वसामान्य भूमि को ग्राम-सभा में निहित कर सकेगी और सरकार इसी रीति से ऐसी अधिसूचना रद्द भी कर सकेगी, और तब, ऐसी भूमि पर ग्राम-सभा के सभी अधिकार समाप्त हो जायेंगे और उक्त भूमि सरकार को प्रतिवर्तित हो जायेगी।

(२) सरकार किसी भी समय ऐसी ही अधिसूचना द्वारा, धारा ८ के खण्ड (ख) के अनुसार ग्राम-सभा द्वारा प्रबन्धित किसी सर्वसामान्य भूमि का प्रबन्ध अपने हाथ में ले सकेगी।

२२। पावनों को भू-राजस्व के बकाए के रूप में वसूलने की ग्राम-सभा की शक्ति।—भू-राजस्व, सेस, रेट या कर का कोई बकाया अथवा ग्राम-सभा को अभिदाय के रूप में या अन्यथा शोध्य कोई और रकम, ग्राम-सभा द्वारा समाहर्त्ता को जारी किये गये सर्टिफिकेट पर समाहर्त्ता द्वारा भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल की जाएगी और ग्राम-सभा को दे दी जायगी।

www.vinoba.in

२३। ग्राम-सभा की स्थापना और गठन के बाद ग्रामदान में सम्मिलित होना।—(१) ग्रामदान-गांव में कोई भू-स्वामी ग्राम-सभा की स्थापना और गठन के बाद, गांव में अपनी कुल भूमि का दान उसी रीति और उन्हीं शर्तों के अधीन रहते हुए कर सकेगा जो दान की स्थिति में धारा ४ के अधीन उपबन्धित है, और तब उप-धारा (२) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के उपबंध इस तरह लागू होंगे, मानो ऐसा दान उस धारा के अधीन किया गया हो :

परन्तु इस धारा के अधीन की गई किसी घोषणा को अध्यक्ष ग्राम-सभा के अनुमोदन के बिना संपुष्ट न करेगा।

(२) उप-धारा (१) के अधीन निर्दिष्ट घोषणा संपुष्ट की जाने की तारीख से किसी ऐसे व्यक्ति के जिसकी घोषणा इस प्रकार संपुष्ट की गई हो, इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्धित स्थिति को छोड़कर, ऐसी घोषणा में समाविष्ट भूमि में के या उस पर के सभी अधिकार, हक और हित समाप्त हो जायेंगे और उस ग्रामदान-गांव के लिये स्थापित ग्राम-सभा को अंतरित और उसमें निहित हो जायेंगे।

(३) कोई भी भूमिहीन ग्रामवासी व्यक्ति ग्राम-सभा की स्थापना और गठन के बाद उसी रीति से और उन्हीं शर्तों के अधीन रहते हुए, जो धारा ५ की उप-धारा (१) में उपबन्धित हैं, ग्रामदान में शामिल हो सकेगा और तब इस अधिनियम के उपबन्ध इस रूप में यथाशक्य लागू होंगे, मानो ये घोषणाएं धारा ५ की उप-धारा (१) के अधीन की गई हों।

२४। आवंटितियों को बेदखल करने की शक्ति।—(१) यदि भूमि का कोई आवंटिती—

(i) धारा २० की उप-धारा (२) के खंड (ख) के उपबन्धों का उल्लंघन करे, या

(ii) ऐसी भूमि के संबंध में जो उसे आवंटित हो, कोई पावना चुकाने में चूक करे,

तो ग्राम-सभा आवंटन को रद्द करने के लिये विहित प्राधिकारी के पास आवेदन कर सकेगी, और तब, विहित प्राधिकारी, यथोचित जांच करने और आवंटिती को सुनवाई का अवसर देने के बाद, उस आवंटन को रद्द कर दे सकेगा तथा आवंटिती को या उस भूमि पर कब्जा रखनेवाले किसी अन्य व्यक्ति को, बेदखल करके उस भूमि पर ग्राम-सभा का फिर से कब्जा दिला देगा।

(२) उप-धारा (१) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी उस उप-धारा के खंड (क) के अधीन किसी मामले में, विहित प्राधिकारी, आवंटन को रद्द करने और ग्राम-सभा को उस भूमि पर फिर से कब्जा दिलाने के बजाय, आदेश द्वारा ग्राम-सभा को निदेश दे सकेगा कि वह यथाविनिर्दिष्ट समय के लिए उस भूमि का प्रबंध अपने हाथ में ले ले।

(३) जहां उप-धारा (२) के अधीन ग्राम-सभा को किसी भूमि का प्रबंध अपने हाथ में लेने का निदेश दिया गया हो वहां विहित प्राधिकारी आगे ऐसे यथोचित आदेश दे सकेगा जिनसे ग्राम-सभा का प्रबंध ग्रहण कर सके और ग्राम-सभा उस भूमि का प्रबन्ध विनिर्दिष्ट अवधि तक करेगी और उक्त अवधि के अवसान पर उस भूमि पर कब्जा आवंटिती को वापस दिला देगी।

(४) उप-धारा (२) के अधीन प्रबंध में लिये जाने की दशा में, ग्राम-सभा प्रबंध की अवधि में उस भूमि से हुई अतिरिक्त आय, आवंटिती द्वारा शोध्य सारी रकम काट लेने के बाद यथाविहित रीति से और अन्तरालों पर आवंटिती को दे देगी।

www.vinoba.in

२५। ग्राम-सभा की शक्तियाँ और कृत्य।—(१) ग्राम-सभा अपने में निहित भूमि और अपने प्रबंध में आई अन्य भूमि का प्रबंध करेगी तथा ग्राम-समुदाय और उसके सदस्यों के लिए कल्याण-कार्य हाथ में लेगी और साथ ही, अन्य सभी आनुषंगिक कार्य करेगी।

(२) विशेष कर और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर बिना विपरीत प्रभाव डाले, ग्राम-सभा—

(क) ग्राम-समुदाय में सामूहिक उत्तरदायित्व और पारस्परिक सहायता की भावना भरने और विकसित करने तथा सहकारी कार्यकलापों को बढ़ावा देने या हाथ में लेने या उनमें भाग लेने के लिए कार्रवाई कर सकेगी;

(ख) ग्राम-समुदाय के बहुमुखी और सर्वतोमुखी विकास के लिए कार्रवाई कर सकेगी;

(ग) अनाथ बच्चों तथा बूढ़े और निर्बल व्यक्तियों के भरण-पोषण के लिये व्यवस्था कर सकेगी;

(घ) गांव में कृषि-सुधार और गांव की जमीन के सर्वोत्तम उपयोग के लिए स्कीम बना और उसे कार्यान्वित कर सकेगी;

(ङ) सामुदायिक प्रयोजनों के लिये जमीन अलग रख छोड़ सकेगी;

(च) गांव के सामान्य विकास के लिए स्कीम बना और उसे कार्यान्वित कर सकेगी जिसमें गांव के लघु-उद्योगों की अभिवृद्धि तथा स्थानीय साधन-स्रोतों और जन-शक्ति का समुचित उपयोग भी शामिल है;

(छ) भूमिहीनों को बांटने के लिए उपलब्ध जमीनों को बंटित कर सकेगी;

(ज) खाद्य-वस्तु और जीवन की अन्य आवश्यक वस्तुओं के मामले में क्षेत्रीय आत्म-निर्भरता के लिए स्कीम बना और उसे कार्यान्वित कर सकेगी तथा इस उद्देश्य से सरकार से और गांव तथा इसके पास-पड़ोस में काम करनेवाली अन्य संस्थाओं और एजेन्सियों से सहयोग और सहायता प्राप्त कर सकेगी;

(झ) चकबंदी को बढ़ावा दे सकेगी;

(ञ) ग्राम-सभा के किसी सदस्य को, चाहे वह जमीन पाने वाला आवंटिती हो या नहीं, कृषिजन्य अथवा इससे भिन्न किसी भी प्रयोजन के लिए ऋण दे सकेगी;

(ट) भूमि-सुधार और बंजर-भूमि-कर्षण के लिए उपाय कर और कृषि के सुधरे तरीकों को चालू कर सकेगी;

(ठ) ग्राम का औद्योगिक विकास कर सकेगी;

(ड) ग्राम में बेकारी दूर करने का काम सुकर बना सकेगी;

(ढ) सामुदायिक प्रयोजनों के लिए गांव से स्वैच्छिक अभिदाय उगाह सकेगी;

(ण) ग्राम-निधि का लेखा रख सकेगी;

(त) ग्राम-अभिलेख तैयार कर और रख सकेगी जिसमें ऐसी ग्राम-सभा के अधीन व्यक्तियों के कब्जे के भूमि-होल्डिंगों का ब्योरा दिखानेवाली बही भी शामिल है;

(थ) गांव में शान्तिपूर्ण तरीके से शान्ति बनाये रखने के निमित्त ग्राम-शांति-दल या शान्ति-दल कायम कर सकेगी; और

www.vinoba.in

(२) समय-समय पर यथाविहित अन्य कृत्यों और कर्त्तव्यों का पालन और अन्य शक्तियों का प्रयोग कर सकेगी।

२६। ग्राम-सभा का कार्य अमान्य न होगा।—ग्राम-सभा या इसकी किसी समिति का कोई भी काम या कार्यवाही केवल इसी कारण अमान्य न समझी जाएगी कि सभा या समिति के गठन में कोई त्रुटि है या इसकी कार्यवाही में कोई अनौपचारिकता है।

२७। अपील।—(१) धारा ४, ५ या ६ के अधीन अध्यक्ष द्वारा या धारा १८, २३ या २४ के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा दिए गए किसी निर्णय से क्षुब्ध कोई व्यक्ति यथाविहित अपीलीय प्राधिकारी के यहां यथाविहित समय के भीतर और यथाविहित रीति से अपील कर सकता है।

(२) अपीलीय प्राधिकारी, पक्षकारों की सुनवाई करने के बाद यथोचित आदेश देगा और अपीलीय प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार दिया गया आदेश अंतिम होगा।

२८। ग्राम-सभा अदालत।—सरकार ग्रामदान-गांव के लिए एक ग्राम-सभा अदालत स्थापित कर सकेगी जिसमें ग्राम-सभा के सदस्यों की संख्या यथाविहित होगी और इसकी स्थापना यथाविहित रीति से की जाएगी; और इस प्रकार स्थापित ग्राम-सभा अदालत, ग्राम-सभा की अधिकारिता के भीतर, बिहार पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ (बिहार अधिनियम ६, १९४८) के अधीन प्रथम वर्ग ग्राम-पंचायत या द्वितीय वर्ग ग्राम-पंचायत या तृतीय वर्ग ग्राम-पंचायत की ग्राम कचहरी की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करेगी, जैसा कि राज्य-सरकार द्वारा सरकारी गजट में अधिसूचित किया जाय।

अध्याय ४।

ग्राम-निधि।

२९। ग्राम-निधि।—(१) हरेक ग्राम-सभा की एक अपनी निधि होगी जो "ग्राम-निधि" कहलाएगी। यह सभा, इस अधिनियम के सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय या राज्य सरकार से अथवा संबद्ध क्षेत्र में बिहार पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ (बिहार अधिनियम ६, १९४८) की धारा ३ के अधीन स्थापित ग्राम-पंचायत से अथवा किसी व्यक्ति या संस्था से अनुदान, दान, उत्तरदान, परिदान या ऋण स्वीकार कर सकेगी।

(२) ग्राम-सभा को प्राप्त सभी रकम और धन, जिसमें इसके द्वारा की गई खेती या उद्यम का लाभ भी शामिल है, ग्राम-निधि में जमा किए जाएंगे।

(३) संबद्ध क्षेत्र में बिहार पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ (बिहार अधिनियम ६, १९४८) की धारा ३ के अधीन स्थापित जिस ग्राम-पंचायत की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अन्तर्गत वह ग्रामदान-गांव पड़ता हो, वह ग्राम-पंचायत इस अधिनियम के सभी या किन्हीं प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए ग्राम-सभा को दिये जानेवाले सहायक-अनुदान का उपबंध करेगी।

३०। ग्राम-निधि का उपयोजन।—इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ग्राम-सभा इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ ग्राम-निधि को उपयोजित कर सकेगी।

www.

३१। ग्राम-सभा को उधार लेने की शक्तियां।—इस संबंध में बनाए जाने वाले नियमों के अधीन रहते हुए, ग्राम-सभा को यह शक्ति होगी कि वह ग्राम-निधि की प्रतिभूति पर या किसी ऐसी संपत्ति की प्रतिभूति पर जो उसकी हो और सीधे जो उसके कब्जे में हो, धन उधार ले।

३२। लेखा और अंकेक्षण।—ग्राम-सभा जो धन प्राप्त या खर्च करेगी उन सबका लेखा रखवाएगी। इन लेखाओं का प्रतिवर्ष अंकेक्षण ऐसा व्यक्ति करेगा जिसे सरकार के पूर्व अनुमोदन से ग्राम-सभा नियुक्त करे।

अध्याय ५।

प्रकीर्ण।

३३। ग्राम-सभा, ग्रामदान-किसान या आवंटिती द्वारा धारित जमीन की बिक्री पर प्रतिबंध।—जहां ग्राम-सभा को दान दी गई किसी जमीन में किसी ग्रामदान-किसान या किसी आवंटिती का हित अथवा किसी जमीन में ग्राम-सभा का कोई हित, यथास्थिति, उस ग्रामदान-किसान, आवंटिती या ग्राम-सभा द्वारा शोध्य किसी रकम के संदाय में चूक होने के कारण बेचा जाए, वहां यह हित, जिस ग्राम में वह जमीन अवस्थित है, वहां की ग्राम-सभा या उस गांव के ग्रामदान में शामिल किसी व्यक्ति के सिवा किसी अन्य के हाथ न बेचा जाएगा।

३४। भू-राजस्व और कृषि-आयकर पर अधिभार चुकाने का ग्राम-सभा का दायित्व।—भू-राजस्व पर अधिभार या कृषि-आय पर कर उगाहने से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होने पर भी ग्राम-सभा, ग्रामदान के रूप में दान दी गई किसी जमीन के संबंध में भू-राजस्व पर अधिभार या कृषि-आय पर कर के रूप में, उस रकम से अधिक रकम संदाय करने का भागी न होगी जो, इस जमीन के इस तरह दान में न दिए जाने पर दानकर्त्ता उसके लिए चुकाता।

३५। ऋणों की मात्रा घटाने के लिए आवेदन करने का ग्राम-सभा का अधिकार।—(१) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन, जो ऋणों की मात्रा घटाने से संबंधित हो, ग्राम-सभा किसी ऐसे ऋण की मात्रा घटाने के लिये आवेदन कर सकेगी जिस पर उक्त विधि लागू हो और जिसके संदाय के लिए ग्राम-सभा या उसका कोई सदस्य दायी हो।

(२) यदि ग्राम-सभा किसी ऐसे ऋण की मात्रा घटाने के लिए आवेदन करे जिसके संदाय के लिए वह दायी हो, तो उस आवेदन पर उसी प्रकार कार्रवाई की जाएगी, मानो वह आवेदन ऐसे व्यक्ति द्वारा दिया गया है जो कि ऋण संबंधी संपत्ति ग्राम-सभा में निहित होने की तारीख के ठीक पहले ऋण चुकाने का दायी था।

(३) यदि ग्राम-सभा किसी ऐसे ऋण की मात्रा घटाने के लिए आवेदन करे जिसके संदाय का दायी उसका कोई सदस्य हो, तो उस आवेदन पर इस प्रकार कार्रवाई की जाएगी, मानो यह आवेदन उस सदस्य ने ही दिया हो, और उस पर दिया गया आदेश, यथाविहित नियमों के अधीन रहते हुए, उस सदस्य के लिए निश्चित रूप से लाभकारी होगा।

३६। सहकारी समिति के रूप में ग्राम-सभा का रजिस्ट्रीकरण।—(१) कोई भी ग्राम-सभा तत्समय प्रवृत्त सहकारी समितियों से संबंधित विधि के अधीन विहित समिति के रूप में अपने को रजिस्ट्रीकृत करा सकेगी।

(२) ऐसे अपवादों, अनुकूलनों तथा उपान्तरणों के अधीन रहते हुए, जिन्हें सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा उल्लिखित करे, उप-धारा (१) में निर्दिष्ट विधि-उपबंध ऐसी किसी भी ग्राम-सभा पर लागू होंगे।

www.vinoba.in

३७। स्टाम्प-शुल्क आदि से छूट देने की शक्ति।—सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना के जरिए, निम्नलिखित को छूट दे सकेगी:—

(क) ग्राम-सभा द्वारा या उसकी ओर से लिखे गए किसी लिखत या धारा ४, धारा ५ या धारा २३ के अधीन की गई किसी घोषणा के संबंध में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन प्रभार्य स्टाम्प-शुल्क, तथा

(ख) धारा ४ या धारा २३ के अधीन भूमि दान देनेवाली ग्राम-सभा या स्वामी द्वारा तत्समय प्रवृत्त लेख्य-रजिस्ट्रीकरण संबंधी विधि के अधीन देय फीस, जिसे उगाहने को सरकार सक्षम हो।

३८। नियम बनाने की शक्ति।—(१) राज्य-सरकार, इस अधिनियम के सभी या किन्हीं प्रयोजनों की पूर्त्ति के लिए, सरकारी गजट में अधिसूचना के जरिए ऐसे नियम बना सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों।

(२) विशेषतः और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर विपरीत प्रभाव डाले बिना, इन नियमों में निम्नलिखित के लिए उपबंध किया जा सकेगा:—

(क) इस अधिनियम के अधीन घोषणाओं का फारम और रीति तथा उनके साथ दाखिल किए जानेवाले लेख्य;

(ख) इस अधिनियम के अधीन घोषणा प्रकाशित करने की रीति, दावों का स्वरूप, क्षेत्र और रीति तथा आक्षेपों की सुनवाई और उसका निबटारा;

(ग) इस अधिनियम के अधीन अपील करने की रीति, उसके लिये ली जाने वाली फीस, किन प्राधिकारियों के यहां ये अपीलें की जाएंगी तथा उनकी सुनवाई और निबटाव की प्रक्रिया;

(घ) किस दर से, किस अवधि के भीतर तथा किस रीति से आवधिक अभिदाय किए जायेंगे;

(ङ) ग्राम-सभा के सभापति के चुनाव की रीति;

(च) किस फारम पर, किस रीति से तथा किन अन्तरालों पर सदस्यों का रजिस्टर तैयार और पुनरीक्षित किया जाएगा;

(छ) भू-राजस्व की वसूली के लिए तहसील-खर्च की दर तथा उसे भेजने का समय और रीति;

(ज) अधिक-से-अधिक कितनी जमीन धारण करने या कितनी जमीन का स्वामी होने पर कोई व्यक्ति, धारा २० के अधीन भूमिहीन व्यक्ति हो सकेगा;

(झ) ग्राम-सभा किस रीति से और किस हद तक धन उधार ले सकेगी;

(ञ) किस रीति से ग्राम-निधि जमा की जायगी, विनिहित की जायगी या प्रशासित की जायगी; और

(ट) कोई और बात जो विहित की जाने वाली हो या विहित की जाए।

(३) इस धारा के अधीन बने प्रत्येक नियम बनाये जाने के बाद तुरत राज्य विधान-मंडल के हरेक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल १४ दिन के लिये रखा जाएगा जो एक ही सत्र में या दो लगातार सत्र में पड़ सकते हैं। जिस सत्र में उसे प्रस्तुत किया जाए उस सत्र में या उसके तुरत बादवाले सत्र में दोनों सदन नियम में जो उपान्तरण करने को सहमत हों अथवा यदि इस बात पर सहमत हों कि नियम बनाया नहीं जाना चाहिए तो उसके

www.vinoba.in

बाद, वह नियम, यथास्थिति, या तो उपान्तरित रूप में प्रभावी होगा या प्रभावी नहीं होगा। किन्तु नियम के ऐसे उपान्तरण या वातिल होने से उस नियम के अधीन पहले किए गए किसी काम की मान्यता पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़ेगा।

३९। ग्राम-सभा को ग्राम-पंचायत के रूप में काम करने की शक्ति दी जा सकेगी।—(१) ग्राम-सभा के अनुरोध पर, और जिस ग्राम-पंचायत की प्रादेशिक अधिकारिता में वह ग्राम-सभा कार्य करती हो उस ग्राम-पंचायत से परामर्श करके, सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना के जरिए यह घोषित कर सकेगी कि ग्राम-सभा अधिसूचना में किए गए उल्लेख के अनुसार अपनी अधिकारिता के भीतर पड़नेवाले क्षेत्र के संबंध में (जो इसके बाद इस धारा में उक्त क्षेत्र के रूप में निर्दिष्ट है) ग्राम-पंचायत की सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग और ग्राम-पंचायत के सभी या किन्हीं कर्त्तव्यों और कृत्यों का निर्वहन कर सकेगी।

(२) उप-धारा (१) के अधीन अधिसूचना निकलने पर—

(क) यदि ग्राम-सभा किसी ग्राम-पंचायत की सभी शक्तियों का प्रयोग और सभी कर्त्तव्यों तथा कृत्यों का निर्वहन करे, तो—

(i) अधिसूचना की तारीख के अव्यवहित पूर्व काम करनेवाली ग्राम-पंचायत उक्त क्षेत्र में काम करना बन्द कर देगी;

(ii) बिहार पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ (बिहार अधिनियम ६, १९४८) के अधीन ग्राम-पंचायत संबद्ध सारी शक्तियां, कर्त्तव्य और कृत्य जो उक्त क्षेत्र से संबंधित हों, ग्राम-सभा से संबद्ध हो जाएंगे और तदनुसार, ग्राम-सभा उपर्युक्त शक्तियों का प्रयोग और कर्त्तव्यों तथा कृत्यों का निर्वहन करेगी;

(iii) बिहार पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ (बिहार अधिनियम ६, १९४८) के उपबंध ऐसे निर्बंधनों और उपान्तरणों के अध्यधीन, जिन्हें सरकार अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे, ग्राम-सभा पर इस प्रकार लागू होंगे मानो वह उस ग्राम के लिये विधि के अधीन गठित ग्राम-पंचायत हो;

(iv) ग्राम-सभा अधिसूचना की तारीख को यथास्थित ग्राम-पंचायत के सभी माल-मता की हक्कदार और उसके सभी दायित्वों के अध्यधीन होगी, जहांतक वे माल-मता और दायित्व उक्त क्षेत्र से संबंधनीय हों:

परन्तु जो हाट या बाजार किसी ग्राम-सभा के क्षेत्र के भीतर अवस्थित हो और उस ग्राम-पंचायत द्वारा प्रबन्धित हो जिसकी प्रादेशिक अधिकारिता के भीतर वह हाट या बाजार पड़ता हो, उसका प्रबन्ध ग्राम-पंचायत ही करती रहेगी और उसकी आय का एक अंश ग्राम-सभा को उस अनुपात से दिया जाएगा जो अनुपात ग्राम-सभा की आबादी का ग्राम-पंचायत क्षेत्र की पूरी आबादी के साथ हो;

(ख) किसी अन्य दशा में—

(i) ग्राम-पंचायत, ग्राम-सभा की अधिकारिता के भीतर पड़नेवाले क्षेत्र के संबंध में अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग तथा कर्त्तव्यों और कृत्यों का सम्पादन नहीं करेगी;

(ii) ग्राम-पंचायत से संबद्ध इस प्रकार विनिर्दिष्ट शक्तियां, कर्त्तव्य और कृत्य उपर्युक्त क्षेत्र के संबंध में ग्राम-सभा से सम्बद्ध हो जायेंगे और तदनुसार ग्राम-सभा इन शक्तियों का प्रयोग तथा इन कर्त्तव्यों और कृत्यों का संपादन करेगी;

www.vinoba.in

(iii) बिहार पंचायत राज एक्ट, १९४७ (बिहार अधिनियम ६, १९४८) के उपबंध ऐसे निबन्धनों और उपान्तरणों के अध्यधीन, जिन्हें सरकार अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे, ग्राम-सभा पर इस प्रकार लागू होंगे, मानो यह बिहार पंचायत राज एक्ट, १९४७ (बिहार अधिनियम ६, १९४८) के अधीन गठित ग्राम-पंचायत हो;

(iv) ग्राम-सभा अधिसूचना की तारीख को यथास्थित ग्राम-पंचायत के ऐसे माल-मत्ते की हक्कदार और उसके ऐसे दायित्वों के अध्यधीन होगी जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हों।

(३) उप-धारा (१) के अधीन जारी की गयी किसी अधिसूचना में ऐसे अनुपूरक, आनुषंगिक और परिणामी उपबन्ध रह सकेंगे जिन्हें सरकार आवश्यक समझे और उनमें खासकर निम्न निदेश रह सकेंगे:—

(i) ग्राम-पंचायत को शोध्य कोई कर, फीस या अन्य रकम ग्राम-सभा को देय होगी;

(ii) ऐसे किसी कर, फीस या रकम के संबंध में जो अपीलें, याचिकाएं या अन्य आवेदन उक्त अधिसूचना की तारीख को लम्बित हों, उन्हें ग्राम-सभा निबटायेगी।

स्पष्टीकरण—जहां ग्राम-सभा की अधिकारिता वाला क्षेत्र एक से अधिक ग्राम-पंचायतों की प्रादेशिक अधिकारिता के भीतर पड़ता हो, वहां उप-धारा (१) और (२) में ग्राम-पंचायत के प्रति किया गया निर्देश उन ग्राम-पंचायतों के प्रति निर्देश माना जाएगा।

४०। कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।—यदि इस अधिनियम के उपबन्ध को लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो, तो राज्य-सरकार यथावसर आदेश द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत ऐसा कोई भी काम कर सकेगी जो उस कठिनाई को दूर करने के लिये उसे आवश्यक प्रतीत हो।

४१। विनियम बनाने की शक्ति।—(१) इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने के प्रयोजनार्थ उन सभी विषयों का, जिनके लिये उपबंध आवश्यक है, उपबंध करने के निमित्त ग्राम-सभा इस अधिनियम या इसके अधीन बने नियमों से असंबद्ध विनियम बना सकेगी।

(२) खासकर और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर बिना विपरीत प्रभाव डाले ऐसे विनियमों में निम्न उपबन्ध होंगे :—

(क) ग्राम-सभा की बैठकें, बैठक का कार्य-संचालन और कार्य निबटाने की उनकी प्रक्रिया;

(ख) कार्यकारिणी समिति के सदस्यों के निर्वाचन की रीति तथा कार्य-समिति की शक्तियां, कर्त्तव्य और कृत्य;

(ग) सभापति और सचिव की शक्तियां और कर्त्तव्य;

(घ) किस स्थिति में और किस रीति से सभापति अपने पद से हटाया जा सकेगा;

(ङ) कार्यकारिणी समिति या किसी अन्य समिति में अथवा ग्राम-सभा के सभापति के पद पर हुई आकस्मिक रिक्ति किस रीति से और कितनी अवधि के लिये भरी जाएगी;

(च) स्थायी और तदर्थ समितियों का गठन, उनकी शक्तियां और कर्त्तव्य, सदस्यों की पदावधि, समितियों का कार्य-संचालन और यह कि किन परिस्थितियों में तथा किस रीति से समिति विघटित या पुनर्गठित की जा सकेगी;

www.vinoba.in

(छ) ग्राम-सभा के सचिव, अन्य पदाधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति, पारिश्रमिक और सेवा-शर्तें तथा यह कि किन परिस्थितियों में और किस रीति से उन्हें सेवा से हटाया जा सकेगा;

(ज) ग्राम-सभा का लेखा रखना;

(झ) भूमि का आवंटन और ऐसे आवंटन के लिए लगान, फीस या अन्य प्रभारों की उगाही में अनुसरणीय सिद्धान्त;

(ञ) जिन भू-स्वामियों ने ग्रामदान के रूप में भूमि-दान किया है उनके द्वारा, भूमि के निहित होने की तारीख को मौजूद अवनारों के मद्धे या भू-राजस्व, लगान, सेस, रेट या अन्य शोध्यों के मद्धे, ग्राम-सभा को शोध्य संदायों की वसूली में अनुसरणीय सिद्धान्त;

(ट) ग्राम-सभा द्वारा स्वयं खेती करने के लिये अलग रख छोड़ी गई भूमि पर खेती करने की रीति; और

(ठ) कोई अन्य बात, जिसके लिए इस अधिनियम के अधीन ग्राम-सभा को अपने कर्तव्यों और कृत्यों के सम्पादन में समर्थ बनाने के प्रयोजनार्थ उपबंध आवश्यक हो।

४२। ग्राम-सभा का अवक्रमण।—(१) यदि सरकार की राय में कोई ग्राम-सभा—

(क) इस अधिनियम के अधीन उसे समनुदेशित कर्तव्यों के सम्पादन में सक्षम न हो या बार-बार चूक करे, अथवा

(ख) इस अधिनियम के अधीन उसे समनुदेशित शक्तियों का अतिक्रमण या दुरुपयोग करे, अथवा

(ग) इस अधिनियम या इसके अधीन बनी नियमावली के उपबंधों से संगत रीति से कार्य न करे;

तो सरकार अपने आदेश के कारणों का उल्लेख करते हुए सरकारी गजट में अधिसूचना निकाल कर उस ग्राम-सभा को, यथास्थिति, अक्षम या चूक करनेवाली या अपनी शक्तियों का अतिक्रमण या दुरुपयोग करनेवाली या इस अधिनियम या इसके अधीन बनी नियमावली के उपबंधों से संगत रीति से कार्य न करनेवाली घोषित कर सकेगी और उसको ऐसी किसी अवधि के लिए अवक्रमित कर सकेगी, जो एक बार एक वर्ष से अधिक की न होगी:

परन्तु ऐसी कोई अधिसूचना जारी करने के पहले सम्बद्ध ग्राम-सभा को कारण बतलाने का समुचित अवसर दिया जायगा कि प्रस्तावित घोषणा क्यों नहीं की जाय।

(२) उप-धारा (१) के अधीन ग्राम-सभा का अवक्रमण हो जाने पर—

(क) सभापति और ग्राम-सभा द्वारा गठित सभी समितियों के सदस्य अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तारीख से अपना पद खाली कर देंगे;

(ख) अवक्रमण की तारीख से ग्राम-सभा के पदाधिकारी और कर्मचारी अपने पद पर न रह जायेंगे, परन्तु उप-खंड (ग) के अधीन सरकार द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति, ग्राम-सभा के किन्हीं पदाधिकारियों या कर्मचारियों को ऐसे समय तक और ऐसी शर्तों पर, जो वह विनिर्दिष्ट करे, अपने पद पर बने रहने का निदेश दे सकेगा;

www.vinoba.in

(ग) प्रवक्रमण की अवधि में ग्राम-सभा या उसकी किन्हीं समितियों की सभी शक्तियों का प्रयोग और कर्त्तव्यों का सम्पादन वह व्यक्ति या वे व्यक्ति करेंगे, जिसे या जिन्हें सरकार इसके लिये समय-समय पर नियुक्त करे; और

(घ) ग्राम-सभा में निहित सारी संपत्ति तथा ग्राम-निधि की यथावशेष रकम उस जिले के, यथास्थिति, समाहर्त्ता या उपायुक्त में निहित हो जाएगी, तथा अपने वैध कृत्यों के निर्वहन में या अपने सामान्य कर्त्तव्यों के संपादन के सिलसिले में सम्बद्ध ग्राम-सभा पर जो भी दायित्व आए हों, वे उक्त समाहर्त्ता या उपायुक्त को अन्तरित हो जायेंगे, जो प्रवक्रमण की अवधि समाप्त होने तक यथावश्यक व्यवस्था करेगा।

(३) अधिसूचना में विनिर्दिष्ट प्रवक्रमण की अवधि समाप्त होने पर सरकार, यदि उसकी राय में ऐसा करना आवश्यक हो तो, प्रवक्रमण को और भी उतनी अवधि तक बढ़ा सकेगी, जितनी वह आवश्यक समझे, पर वह अवधि एक बार एक वर्ष से अधिक की न होगी और, मूलतः विनिर्दिष्ट या बढ़ाई गई प्रवक्रमण अवधि समाप्त होने पर, ग्राम-सभा पुनः अपने कृत्य करने लगेगी और इस अधिनियम में उपबंधित रीति से अपना सभापति चुनेगी और समितियां गठित करेगी:

परन्तु सरकार प्रवक्रमण की अवधि समाप्त होने के पूर्व, किसी समय उप-धारा (१) के अधीन जारी की गयी अधिसूचना प्रत्याहृत कर सकेगी।

(४) प्रवक्रमण की अवधि में ग्रामदान-गांव से होनेवाली आय का उपयोग प्रथमतः प्रवक्रमण अवधि में प्रबंध खर्च मद्धे और ग्राम-सभा के दायित्वों को परिशोधन में किया जायगा और शेष को ग्राम-निधि में जमा कर दिया जायगा।

४३। त्राण।—इस अधिनियम या इसके अधीन बने किसी नियम या आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक किये गये या किये जाने के लिये अभिप्रेत किसी बात के लिये किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद या अन्य वैध कार्यवाहियां नहीं चलेंगी।

४४। निरसन और व्यावृत्ति।—(१) बिहार ग्रामदान अध्यादेश, १९६५ (बिहार अध्यादेश सं० ३, १९६५) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के द्वारा या अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में किया गया कार्य या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के द्वारा या अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गई समझी जायगी, मानो यह अधिनियम, उस दिन प्रवृत्त था जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गई थी।

बि० स० मु० (एम०डी०) १४—मोनो—५,११ब+२००—२८-४-१९६६—पो० मिश्र

www.vinoba.in